



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3712

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 177 वर्ष 2026

रामब्रेश @ बब्लू आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार ओझा, विवेक सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री पंकज कुमार ओझा, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, **मुकदमा अपराध संख्या 166 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 315, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।**
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक तीन नामजद अभियुक्त व्यक्तियों तथा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2025 को लगभग 11:30 बजे मृतक व्यक्ति पर लाठी-डंडे एवं मुक्के से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित करने का कथित आरोपी है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी दो दिन से अधिक विलंब से दर्ज हुई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि एफआईआर में मृतक का गला दबाने का कोई आरोप नहीं है, जबकि मृत्यु-पूर्व श्वासावरोध द्वारा गला दबाने को मृत्यु का कारण बताते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही उल्लेख है, जिससे अभियोजन कहानी असत्य सिद्ध होती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 26.09.2025 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों तथा इस तथ्य का भी खंडन करने में असमर्थ रहे कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा एफआईआर दर्ज कराने में विलंब एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एफआईआर से विरोधाभास को भी दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम दृष्टया मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला पाता हूँ। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक रामब्रेश @ बब्लू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत